न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः—05 / 19

निर्णय दिनांकः—31.10.2019

1. बलदेव सिंह पुत्र रूघवीर सिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूघवीर सिंह
3. राजू कंवर पुत्री रूघवीर सिंह
4. सरोज कंवर पत्नि सहदेव सिंह
5. मेजर सिंह पुत्र सहदेव सिंह
6. अजय सिंह पुत्र सहदेव सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ–शेखावाटी, जिला सीकर।

.........वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर।
2. पटवारी हल्का ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर।

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री धन्नाराम(वादी की ओर से)

—ःनिर्णयः—

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर पूराना 75 व नया 99 रकबा 0.900 हैक्टेयर वाके ग्राम ठिमोली में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि का खाता बृज कंवर के नाम से बना हुआ है। बृज कंवर का पूर्व मे देहान्त हो चुका है, तथा बृजकंवर के देहान्त के बाद वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि रूघवीर सिंह पुत्र केशर सिंह के कब्जें काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही थी, लेकिन दिनांक 19.04.2018 को उक्त रूघवीर सिंह का देहान्त हो चुका है उक्त रूघवीर सिंह के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि वादिगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है।

रूघुवीर सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर श्रीमति बृजकंवर ने अपनी इच्छा से दिनांक 16.07.2004 को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख.न. पुराना 75 व नया 99 कुल रकबा 0.900 है0 भूमि की वसीयत उक्त रूघवीर के पक्ष में कर दी उक्त वसीयत को उप. पंजीयक कार्यालय रामगढ़ शेखावाटी में पंजीकृत कराया तथा सक्षम साक्षियों के सामने वसीयत का निष्पादन किया।

बृज कंवर की मृत्यु दिनांक 02.03.2006 को ग्राम ठिमोली में हो चुकी है। उक्त बृज कंवर का किया क्रम अस्थि विसर्जन द्वादश्य तेरवी की रस्म समस्त कर्म काण्ड बृज कंवर के सहोदय भतीजा रूघवीर सिंह ने करवाया।

बृज कंवर की व रूघुवीर सिह के देहान्त के पश्चात उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम करवाने का हकदार है। क्योंकि बृज कंवर की वसीयत के अनुसार रूघवीर सिंह वादग्रस्त भूमि का मालिक स्वामी तथा काबिज काश्तकार हो गया था लेकिन रूघवीर सिंह का देहान्त हो चुका है। इस कारण से वादीगण अपने नाम से उक्त कृषि भूमि की खातेदारी उद्घोषित करवाने के हकदार है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने जबाब पेश किया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 01 जमाबंदी सम्वत 2074—77, प्रदर्श 02

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 03 वसीयत रजिस्टर्ड दिनांकित 20.07.2004 आदि पेश किये। वादीगण बलदेवसिंह व मेजरसिंह के बयान दर्ज किये गयें।

वकील वादीगण को सुना गया। तहसीलदार के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 01 जमाबंदी सम्वत 2074 –77 के अनुसार गत खसरा नंबर 75 रकबा 1.8 हैक्टेयर की 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,6 के साथ साथ मृतक बृज कँवर पत्नी बृजलाल सिंह राजस्व अभिलेख में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 02 के अनुसार उक्त खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 99 रकबा 1.8 हेक्टेयर कायम हुए है। मृतका बृज कँवर ने प्रदर्श 03 वसीयत दिनांक 16.07.2004 पंजीकरण दिनाक 20.07.2004 से उक्त आराजी गत खसरा नंबर 75 की वसीयत वादीगण के पूर्वज रूघवीर सिंह को अपना हिस्सा वसीयत कर दिया है। पंजीकृत वसीयत होने के कारण presumption of truth के आधार पर वसीयत के अनुसार मृतक वसीयती के उत्तराधिकारियों को स्वत्व प्रदान करना उचित है। किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत को चैलेंज वाद पत्र में नहीं किया है।

तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर भी मौके पर कब्जे सम्बन्धी भी वादीगण के साथ किसी पक्षकार का विवाद साबित नहीं है। ये तथ्य निर्विवाद है कि वसीयत निष्पादनकर्ता बृजकंवर का निधन दिनाक 02.03.06 हो चुका है। वसीयती रूघवीर सिंह का देहांत 19.04.2018 को हो चुका है। तदनुसार वसीयत के आधार पर 1/2 हिस्सा के उत्तराधिकारी प्रमाणित है।

–ःआदेशः–

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित हाल खसरा नंबर 99 में तदनुसार वादी संख्या 1 का 7/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/24 हिस्सा, वादिनी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, वादिनी संख्या 4 का 17/120 हिस्सा, एवं वादीगण संख्या 5 व 6 का 9/60 बहिस्सा बराबर हिस्सा निर्धारित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner